डी पी एच सी एल
DPHCL

2री वार्षिक रिपोर्ट
2nd ANNUAL REPORT
2008-09

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल
DPHCL

2री वार्षिक रिपोर्ट
2nd ANNUAL REPORT
2008-09

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

विषय–सूची | Contents

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना	1
	Company Information	
2.	नोटिस	2
	Notice	
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य	6
	Background And Function of DPHCL	
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	10
	Directors Report	
5.	तुलन–पत्र	14
	Balance Sheet	
6.	लाभ और हानि का विवरण	16
	Statement of Profit and Loss	
7.	अनुसूचियां	18
	Schedules	
8.	लेखों पर टिप्पणियां	21
	Notes on Accounts	
9.	तुलन–पत्र सार और कंपनी के कारोबार की रूपरेखा	23
	Balance Sheet Abstract And Company's General Business Profile	
10.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	25
	Auditor's Report	
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	29
	Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	

कंपनी सूचना
COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2008–2009)
Board of Directors (2008-2009)

श्री युद्धबीर सिंह डडवाल
Sh. Yudhbir singh Dadwal
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

श्रीमती विमला मेहरा
Smt. Vimla mehra
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007 to 13-07-2009)

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल
Dr. Shabd Prakash Bansal
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

डॉ. मुंगथ माधवन कुट्टी
Dr. Mungath Madhavan Kutty
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 14-12-2007)

श्री राम निवास शर्मा
Sh. Ram Niwas Sharma
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 14-12-2007)

श्रीमती भामथी बालासुब्रमणियम
Smt. Bhamathi Balasubramaniam
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 17-03-2008)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
104, लक्ष्मी कॉम्पलेक्स बी–6,
सुभाष चौक लक्ष्मी नगर
दिल्ली – 110092

Statutory Auditors
M/s. Pradeep Gopal & Company
Chartered Accountants
104, Laxmi Complex, B-6,
Subhash Chowk, Laxmi Nagar,
Delhi – 110092

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

Bankers
State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

Registered Office :
Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की दूसरी वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2009 को 17:00 बजे कान्फ्रेंस हॉल, पुलिस मुख्यालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगीः

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2009 को तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि के लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉ सहित पर विचार करना, अपनाना।

2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2008–09 के लिए मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, को सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक अनुमोदित करना और निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

   ‘‘**संकल्प किया जाता है कि** वर्ष 2008–09 के लिए निगम के लेखे की लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 104, लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, बी–6, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 110 092, कंपनी के प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक को सभी व्ययों को मिलाकर रु.15,000/– (समेकित) का पारिश्रमिक अदा किया जाएगा।’’

3. वर्ष 2009–10 के लिए कंपनी के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पुनः नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने और निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

   ‘‘**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) (एए) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को वर्ष 2009–10 के लिए मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।’’

विशेष कार्य

4. श्री दीपचंद की निदेशक के रूप में नियुक्ति विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

   ‘‘**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री दीपचंद को एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(दीपचंद)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 03.09.2009

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Tele No. 23378961,23492056 e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the second Annual General Meeting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** will be held on 29th day of September 2009 at 17:00 hrs. in the Conference Hall of Police Headquarters, I.P.Estate New Delhi-110002 to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2009 and Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed of thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

2. To approve the remuneraation of M/s Pradeep Gopal and Company, Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Company for the 2008-2009 as recommend by the Board of Director of the company and to pass the following resolution an **ordinary resolution:**

   "**RESOLVED THAT** M/s Pradeep Gopal and Company,Chartered Accountants, 104, Laxmi Complax, B-6, Subhash Chowk, Laxmi Nagar Delhi-110092, the first Statutory Auditors, be paid aremuneration of Rs 15,000/-(consolidated) incluslve of all expenses, for auditing the accounts of the corppration for the year 2008-09"

3. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the year 2009-10 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the followinfg resolution an **ordinary resolution:**

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Section 224(8) (aa) of the Companies Act,1956, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of the Statutory Auditors, to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2009-10."

SPECIAL BUSINESS:

4. APPOINTEMENT OF SH. DEEPCHAND AS DIRECTOR

   To consider and if thought fit, to pass the following resolution, as an ordinary resolution;

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of teh Commpanies Act,1956 and Articles of Association of the Company, Sh.Deepchand be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

By order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Dated: 03.09.2009

(Deepchand)
Managing Director

टिप्पणीः

1. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का खाली प्ररूप संलग्न है और यदि प्रयुक्त करने का इरादा है, वार्षिक आम बैठक के शुरु होने के 48 घंटे से पहले कंपनी में जमा कर देना चाहिए।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। ।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं.3

श्री दीपचंद, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है। कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 और कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार श्री दीपचंद को स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक मंडल श्री दीपचंद को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधार को अनुमोदन हेतु संस्तुत करते हैं ।

श्री दीपचंद को छोडकर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(दीपचंद)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 03.09.2009

Notes:

1. Amember entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the company. A blank form of proxy is enclosed and if intended to be used. it should be returned to the company not less than forty-eight hours before the Annual General Meeting duly completed.

2. An explanatory statement pursuant to section 173(2) of the Companies Act, 1956 relating to special business is enclosed herewith.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 173(2) OF THE COMPANIES ACT 1956

ITEM NO.3

Sh. Deepchand, Spl. Commissioner of Police Delhi, was appointed by the Board of Directorsof the Company as director. As per the requirements of the Compenies Act,1956 Sh. Deepchand is proposed to be appointed as a Permanent Director not liable retire by rotation. The Board recommends the appointment of Sh. Deepchand as a director for approval by the shareholders.

None of the Directors except Sh. Deepchand, is interested in any way in the proposed resolution.

By order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Dated: 03.09.2009

(Deepchand)
Managing Director

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर –दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer– One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum-Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :–

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012– यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक – दो
2. स्वतंत्र निदेशक – दो
3. कार्यकारी निदेशक – दो

सरकारी निदेशक :– डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली – पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर–सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा **अनुसूची 'ग' सीपीएसई** कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS : DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :- The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई–मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017–2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टों, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रुप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBII, dated 6th September, 2019.

विलंब कथन

(वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007–08 से 2018–19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBII, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on deted 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

यह लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए आवास अपर्याप्त हैं। घरों और पुलिस के कार्यालय की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने अपनी 16 जून, 2006 को आयोजित बैठक में दिल्ली पुलिस आवास निगम के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निगम बनाने का एकमात्र उद्देश्य दिल्ली पुलिस के अपने घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण में आंतरिक कोर क्षमता का व्यावसायिक रूप से विकास करना है। दिल्ली पुलिस आवास निगम की स्थापना 16 नवंबर, 2007 को हुई थी।

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए 2री वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई गतिविधि आरंभ नहीं की तथा कंपनी ने ब्याज से रु.38,17,977/– की आय अर्जित की। वर्ष के दौरान, सभी खर्चों को पूरा करने के बाद तुलन–पत्र में ले जाई गई शेष राशि रु.18,65,074/– है।

चालू वर्ष में, दिल्ली पुलिस ने 4 चल रही परियोजनाओं जिन्हें दिल्ली पुलिस के भूमि एवं भवन कक्ष द्वारा मॉनीटर किया जा रहा था, उन्हें दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा मॉनीटर करने के लिए अंतरित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने 20.03.2009 के आदेश फा.सं. गृह पुलिस Estt-I/5096 द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण निधि में से दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को अनुदान के रूप में रु.40 करोड़ संवितरित किए। निगम ने इन निधियों में से पहले ही रु.30 करोड़ संवितरित किए हैं।

लाभांश

कंपनी ने अभी ही अपनी गतिविधि शुरू की है, निदेशक मंडल ने किसी भी लाभांश को संस्तुत नहीं किया है।

मियादी निवेश

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई मियादी निवेश न स्वीकार किया है न नवीकृत किया है।

धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना लागू नहीं है।

DIRECTOR'S REPORT

Dear Shareholders,

It has been noted for a long time that the housing is inadequate for the personnel of Delhi Police. With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and office buildings for Delhi Police, the Cabinet in its meeting held on 16th June, 2006 approved the proposal of creation of Delhi Police Housing Corporation Limited . The sole objective of creating the Corporation has been to professionally develop in-house core competencies in constructing its own houses and office buildings Delhi Police. The Delhi Police Housing Corporation Limited was incorporated on 16th November,2007.

Directors of your Company have the pleasure to present their 2nd Annual Report for the year ended 31st March, 2009.

FINANCIAL RESULTS

The Company did not undertake any activities during the financial year ending 31st March, 2009 and the company has earned an interest income of Rs.38,17,977/-. The balance carried to the balance sheet after meeting out all expenses and taxes is Rs.18,65,074/- during the period.

In the current year, Delhi Police has transferred four on-going projects that were earlier being monitored by Land and Building cell of Delhi Police, to be monitored by Delhi Police Housing Corporation Limited. The GNCT, Delhi vide its order F. No. Home Police Estt-I/5096 dt. 23.03.09 trasferred Rs.40 Crore as grant to Delhi Police Housing Corporation Ltd. out of Police Modernisation funds. The Corporation has already disbursed Rs.30 Crore out of these funds.

DIVIDEND

Since the company is yet to start its activities, the Board has recommended no dividend.

FIXED DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any fixed deposits from public during the year under review.

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217 (2A)

During the year under review, the information required under section 217(2A) of the Companies Act, 1956, is not applicable.

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण

चूंकि कंपनी विनिर्माण व्यापार में शामिल नहीं है, अतः इसके प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं हुआ है तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विवरणों का प्रकटीकरण), नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (इ) संबंधी विवरण अपेक्षित नहीं है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड का गठन इस प्रकार हैः

अध्यक्ष

1. श्री युद्धबीर सिंह डडवाल, पुलिस आयुक्त, दिल्ली (दिनांक 16.11.2007 से आज तक)।

प्रबंध निदेशक

2. श्री दीप चन्द, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली (दिनांक 13.07.2009 से आज तक)।

   श्रीमती विमला मेहरा, विशेष पुलिस आयुक्त का नाम प्रथम निदेशक के रूप में निगम के संस्था के बहिर्नियम में था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार श्रीमती विमला मेहरा दिनांक 16.11.2007 से निगम की प्रबंध निदेशक नियुक्त है। उन्होंने अपने स्थानांतरण के कारण दिनांक 13.07.2009 को बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है।

   बोर्ड श्रीमती विमला मेहरा उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके अमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है।

3. डॉ. शब्द प्रकाश बंसल, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि।

4. श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती, संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), गृह मंत्रालय, प्रतिनिधि गृह मंत्रालय।

5. श्री राम निवास शर्मा, संयुक्त सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

6. डॉ. मुंगथ माधवन कुट्टी, संयुक्त सचिव (दिल्ली), शहरी विकास मंत्रालय, प्रतिनिधि शहरी विकास मंत्रालय।

निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 28.07.2008 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों के

ENERGY CONSERVATION AND TECHNOLOGY ABSORPTION

Energy Conservation

Since the Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operations and as such no specific methods have been adopted to conserve energy.

The particulars pursuant to Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of Particulars on Report of Board of Directors) Rules, 1988 are not required.

DIRECTORS

The Board of Directors consists of a Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi a Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The constitution of the Board during the year is as follows:

Chairman

1. Shri Yudhbir Singh Dadwal, Commissioner of Police, Delhi (w.e.f. 16.11.2007 as on date).

Managing Director

2. Shri Deep Chand, Special Commissioner of Police, Delhi (w.e.f. 13.07.2009 as on date).

   Smt. Vimla Mehra, Special Commissioner of Police, Delhi was named in the Articles of Association of the Corporation as the First Director. As per Government of India, Ministry of Home Affairs, order Smt. Vimla Mehra, was appointed as the Managing Director of the Corporation w.e.f. 16.11.2007. She has resigned from the Board w.e.f. 13.07.2009 due to her transfer.

   The Board wished to place on record its sincere appreciation for the valuable contributions made by Smt. Vimla Mehra during her tenure.

3. Dr. Shabd Prakash Bansal, Additional Commissioner (Planning), DDA, a representative of the Delhi Development Authority.

4. Smt. Balasubramaniam Bhamathi, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, a representative of the Ministry of Home Affairs.

5. Shri Ram Niwas Sharma, Joint Secretary (Home), GNCT of Delhi, a representative of the Government of the National Capital Territory of Delhi.

6. Dr. Mungath Madhavan Kutty, Joint Secretary (DL), MOUD, a representative of the Ministry of Urban Development, Government of India.

AUDIT COMMITTEE OF DIRECTORS

The Audit Committee for the year 2008-09 comprising of the following members of the Board is approved by

समावेशन से वर्ष 2008–09 के लिए लेखापरीक्षा समिति के गठन को अनुमोदित किया है:

1. श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती, निदेशक
2. श्रीमती विमला मेहरा, प्रबंध निदेशक
3. श्री राम निवास शर्मा, निदेशक

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने दिनांक 28 जुलाई, 2009 की लेखापरीक्षा की समिति का पुनर्गठन के लिए संकल्प पारित किया:

निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों के समावेशन से वर्ष 2009–10 के लिए लेखापरीक्षा के गठन को अनुमोदित किया है:

1. श्री दीप चन्द, निगम के प्रबंध निदेशक
2. श्री शब्द प्रकाश बंसल, निदेशक
3. श्री राम निवास शर्मा, निदेशक

निदेशकगण का उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुसरण में कंपनी के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

i. वार्षिक लेखे को तैयार करने में लागू लेखा मानदंडों का पालन किया गया है और उसी के लिए कोई तथ्यगत सामग्री बताने के लिए नहीं है।

ii. 31 मार्च, 2009 को कंपनी के कार्य व्यवहार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और विषयों का उपयुक्ततः प्रकटन करने के साथ लगातार लागू किया तथा निर्णय एवं प्राक्कलन किया, जो कि उचित और विवेकी हैं।

iii. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है तथा

iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2008–09 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है। निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा लेखों पर टिप्पणियों सहित प्रस्तुत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और कोई पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

the Board of Directors in their meeting held on 28.07.2008:

1. Smt. Balasubramaniam Bhamathi, Director
2. Smt. Vimla Mehra, Managing Director
3. Shri Ram Niwas Sharma, Director

Further, the Board of Directors passed the resolution for the re-constitution of Audit Committee on 28th July, 2009.

The Audit Committee for the year 2009-10 comprising the following of members the Board

1. Shri Deep Chand, Managing Director of the Corporation
2. Shri Shabd Prakash Bansal, Director
3. Shri Ram Niwas Sharma, Director

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 Directors of the company confirm that:

i. In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and that there are no material departures from the same.

ii. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently with departures disclosed appropriately and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2009 and of the profit & loss of the Company for the year ended on that date.

iii. The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities, and

iv. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

STATUTORY AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India appointed M/s Pradeep Gopal & Company, Chartered Accountants, New Delhi as Company's Statutory Auditors for the year 2008-2009. The Board of Directors would like to place on record their sincere thanks to the valuable services rendered by the Statutory Auditors.

AUDITORS' REPORT

The Auditors' Report submitted by M/s Pradeep Gopal and Company, Chartered Accountants alongwith notes to accounts is self-explanatory and requires no separate comment.

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपने कार्यालय के दिनांक 11.09.2009 के पत्र सं 771 /पीडीसीए /एचएस / डीपीएचसीएल / ए / एसी. / 2008–09 / 531 के द्वारा निगम के 31 मार्च, 2009 को समाप्त लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत अपेक्षित कोई टिप्पणी नहीं की।

चूंकि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, अतः प्रबंध समिति से उत्तर अपेक्षित नहीं हैं।

सराहना

कंपनी के निदेशकगण निगम के मामले को अग्रसक्रिय रूप से कार्यात्मक करने के लिए गृह मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमती विमला मेहरा, प्रबंध निदेशक/ डीपीएचसीएल, जिन्होंने अपने स्थानांतरण के कारण त्याग–पत्र दिया है, को उनकी अत्यधिक रुचि और कंपनी की स्थापना के लिए अपार और उत्साही प्रयास के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा, श्री दीप चन्द, प्रनि / डीपीएचसीएल को निगम के मामले को आगे बढ़ाने तथा निगम के प्रचालन को उत्साह से गति देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

आभारोक्ति

आपका निगम दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्णरूपेण तथा बाधारहित सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के बैंकर, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा विभिन्न परामर्शदाता एसोसिएट्स का कंपनी को बहुमूल्य सहायता देने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हम निगम के विधि सलाहकार का कंपनी की स्थापना और कंपनी के कार्यों की व्यवस्थित करने के लिए उनकी सतत सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों और भिन्न स्तरों से लिए गए कंपनी के स्व–अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कर्मचारियों के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके उमंग और उत्साह से कंपनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(युद्धबीर सिंह डडवाल)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः

MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Comptroller and Auditor General of India vide its office letter No. 771-PDCA/HS/DPHCL/A/Ac./2008-09/531 dated 11.09.2009 have decided not to review the report of the Statutory Auditors' on the accounts of Corporation for the year end 31st March, 2009 and has made no comments as required under section 619(4) of the Companies Act 1956.

Since, Comptroller and Auditor General of India has made no comments on the Audit Report for the year ended 31st March, 2009, hence, no reply from management is required,

APPRECIATION

Directors of the Company wish to express their sincere gratitude to the Ministry of Home Affairs in proactively taking up the Corporation matters to make it functional. A word of appreciation is also placed on record for Smt. Vimla Mehra, MD/DPHC, who has resigned due to her transfer, for her boundless passion and efforts for taking keen interest and making untiring efforts to establish the Company. Board further places on record their sincere gratitude for Shri Deep Chand, MD/DPHC for pursuing the Corporation matter and to speed up the operations of the Corporation with a zeal.

ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Statutory Auditors of the company and various consulting associates for giving valuable advice to the Company. We are also thankful to the Company Law Advisor of the Corporation for her untiring efforts in setting up and organizing the company affairs. Last but not the least; your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors

sd/-

(Yudhbir Singh Dadwal)

Chairman

Place : New Delhi.

Dated:

31 मार्च, 2009 को तुलन–पत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2009 को	31 मार्च, 2008 को
निधियों का स्रोत			
शेयरधारकों की निधिः			
शेयर पूंजी	क	50,000,000	50,000,000
आरक्षित और अधिशेष			
लाभ और हानि		1,865,074	-
सरकारी अनुदान		400,000,00	
ऋण की निधि		-	-
कुल		451,865,074	50,000,000
निधि का उपयोजन			
स्थायी आस्तियांः			
सकल ब्लॉक		-	-
घटाएंः मूल्यह्रास		-	-
निवल ब्लॉक		-	-
कार्यशील पूंजी प्रगति	ख	49,895,702	72,800
निवेश	ग	-	
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
नकद और बैंक शेष		400,050,026	49,999,450
अन्य चालू आस्तियां		3,424,480	-
ऋण और अग्रिम		393,219	-
		403,867,725	49,999,450
घटाएंः चालू देयताएं और प्रावधान	घ		
देयताएं		1,004,778	842,716
प्रावधान		1,088,128	16,562
		2,092,906	859,278
निवल चालू आस्तियां		401,774,819	49,140,172
विविध व्यय			
आस्थगित कर आस्तियां		194,553	-
प्राथमिक व्यय (बट्टे खाते में समायोजित नहीं किए जाने तक)		-	787,028
कुल		**451,865,074**	**50,000,000**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — ङ

लेखों पर टिप्पणी — च

अनुसूची क से च लेखों का एक अभिन्न भाग है

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता सं. 087135

ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

ह.
(दीप चन्द)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2009

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2009

Figures in Rupees

Description	Schedule No.	As at 31st March 2009	As at 31st March 2008
SOURCES OF FUNDS			
Shareholder's Funds:			
Share Capital	A	50,000,000	50,000,000
Reserve & Surplus			
Profit & Loss		1,865,074	-
Government Grant		400,000,00	
Loan Funds		-	-
Total		451,865,074	50,000,000
IAPPLICATION OF FUNDS			
Fixed Assets:			
Gross Block		-	-
Less Depreciation		-	-
Net Block		-	-
Capital Work in Progress		-	72,800
Investments	B	49,895,702	-
Current Assets, Loans & Advances	C		
Cash and Bank Balances		400,050,026	49,999,450
Other Current Assets		3,424,480	-
Loans and Advances		393,219	-
		45,376,3427	49,999,450
Less: Current Liabilities & Provisions	D		
Liabilities		1,004,778	842,716
Provisions		1,088,128	16,562
		2,092,906	859,278
Net Current Assets		401,774,819	49,140,172
Miscellaneous Expenditure			
Deferred Tax Asset			
Preliminary Expenses			
(To the extent not written off or adjusted)		194,553	-
		-	787,028
Total		**451,865,074**	**50,000,000**

Significant accounting policies **E**
Note on accounts **F**

Schedule A to F form an integral part of Accounts

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner
M.No.087135

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

Sd/-
(Deep Chand)
Managing Director

Place : New Delhi
Date :03.09.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त
वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

आंकड़े रुपए में

विवरण		31.03.2009 को समाप्त अवधि
आय		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सावधि जमा पर ब्याज		3,817,977.00
अल्प एवं अधिक		500.00
		3,818,477.00
व्यय		
फीस व अंशदान		56,000.00
रिटेनरशिप प्रभार		156,000.00
वैधानिक लेखापरीक्षक फीस		15,000.00
उप–कुल		227,000.00
पूर्वावधि मदें:		
प्राथमिक व्यय बट्टे खाते में		787,028.00
कार्यशील पूंजी बट्टे खाते में		
मुद्रण व लेखन सामग्री	5,250.00	
फीस व अंशदान	2,000.00	
बैंक प्रभार	550.00	
प्रतिधारण प्रभार	54,000.00	
वैधानिक लेखापरीक्षक फीस	11,000.00	72,800.00
कराधान पूर्व निवल लाभ		2,731,649.00
कराधान के लिए प्रावधान		
– चालू आयकर		(1,061,128.00)
– आस्थगित आयकर		194,553.00
तुलन–पत्र में अग्रेषित किया गया लाभ और हानि का शेष		1,865,074.00

अनुसूची क से च लेखों का एक अभिन्न भाग है

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता सं. 087135

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2009

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

ह.
(दीप चन्द)
प्रबंध निदेशक

PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2009

Figures in Rupees

Description		Period ended on 31.03.2009
INCOMES		
Interest on term deposit with SBI		3,817,977.00
Short & Excess		500.00
		3,818,477.00
EXPENSES		
Fee & subscription		56,000.00
Retainership charges		156,000.00
Statutory Auditors' Fee		15,000.00
Sub-Total		227,000.00
Prior period items:		
Preliminary expenses w/o		787,028.00
Capital WIP w/o:		
Printing and Stationery	5,250.00	
Fee & subscription	2,000.00	
Bank charges	550.00	
Retainership charges	54,000.00	
Statutory Auditors' fee	11,000.00	72,800.00
Net Profit before taxation		2,731,649.00
Provision for taxation		
-Current Income Tax		(1,061,128.00)
-Deferred Income Tax		194,553.00
Profit & Loss balance c/f to balance sheet		1,865,074.00

Schedule A to F form an integral part of Accounts

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner
M.No.087135

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

Sd/-
(Deep Chanda)
Managing Director

Place : New Delhi
Date :03.09.2009

अनुसूची 'क' – शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रति रुपए 100/– के 10,00,000 के ईक्विटी शेयर	100,000,000.00	100,000,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रति रुपए 100/– के 5,00,000 ईक्विटी शेयर के लिए अभिदत्त शेयर पूंजी लंबित आवंटन	-	50,000,000.00
प्रति रुपए 100/– के 5,00,000 ईक्विटी शेयर प्रदत्त अंशपूंजी	50,000,000.00	-
कुल	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**

अनुसूची 'ख' – निवेश

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा रसीद	49,895,702.00	-
कुल	**49,895,702.00**	**-**

अनुसूची 'ग' – चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
I चालू आस्तियां		
(क) नकद और बैंक शेष		
चालू खाते में – अनुसूचित बैंक के पास	400,050,026.00	49,999,450.00
कुल (क)	**400,050,026.00**	**49,999,450.00**
(ख) अन्य चालू आस्तियां सावधि जमा रसीद पर प्राप्ति योग्य ब्याज	3,424,480.00	
कुल (ख)	**3,424,480.00**	
II. ऋण और अग्रिम (ग) ऋण व अग्रिम स्रोत पर कर की कटौती	393,219.00	
कुल (ग)	**393,219.00**	
कुल	**403,867,725.00**	**49,999,450.00**

अनुसूची 'घ' – चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
I चालू देयताएं		
दिल्ली पुलिस	1,004,778.00	787,028.00
आशु गुप्ता एंड कंपनी	-	55,688.00
कुल (क)	**1,004,778.00**	**842,716.00**
II. प्रावधान		
अदायगी योग्य लेखापरीक्षा फीस	15,000.00	11,000.00
अदायगी योग्य कानूनी और व्यावसायिक फीस	10,764.00	-
अदायगी योग्य स्रोत पर कर की कटौती	1,236.00	5,562.00
कराधान के लिए प्रावधान	1,061,128.00	-
कुल (ख)	**1,088,128.00**	**16,562.00**
कुल	**2,092,906.00**	**859,278.00**

SCHEDULE 'A' – SHARE CAPITAL

Figures in Rupees

Description	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
Authorised Share Capital		
10,00,000 Equity shares of Rs.100 each	100,000,000.00	100,000,000.00
Issued, Subscribed and Paid up		
Subscribed share capital pending allotment for 5,00,000 Equity shares of Rs.100 each	-	50,000,000.00
Paid up share capital of 5,00,000 Equity shares of Rs. 100 each	50,000,000.00	-
Total	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**

SCHEDULE 'B' – INVESTMENTS

Figures in Rupees

Description	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
INVESTMENTS		
FDR with State Bank of India	49,895,702.00	-
Total	**49,895,702.00**	-

SCHEDULE 'C' – CURRENT ASSETS, LOAN AND ADVANCES

Figures in Rupees

Description	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
I. CURRENT ASSETS		
(A) Cash and bank balances:		
in Current account		
- with Scheduled Bank	400,050,026.00	49,999,450.00
Total (A)	**400,050,026.00**	**49,999,450.00**
(B) Other Current Assets		
Interest on FDR receivable	3,424,480.00	
Total (B)	**3,424,480.00**	
II. LOANS AND ADVANCES		
(C) Loans & Advances Tax Deducted at Source	393,219.00	
Total (C)	**393,219.00**	
Total	**403,867,725.00**	**49,999,450.00**

SCHEDULE 'D' – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Figures in Rupees

Description	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
I. CURRENT LIABILITIES		
Delhi Police	1,004,778.00	787,028.00
Ashu Gupta & co.	-	55,688.00
Total (A)	**1,004,778.00**	**842,716.00**
II. PROVISIONS		
Audit Fee Payable	15,000.00	11,000.00
Legal & Professional Fee Payable	10,764.00	-
TDS Payable	1,236.00	5,562.00
Provision for taxation	1,061,128.00	-
Total (B)	**1,088,128.00**	**16,562.00**
Total	**2,092,906.00**	**859,278.00**

अनुसूची 'ड' – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. **वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार**

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रस्तुति की प्रासंगिक आवश्यकता का पालन करते हैं।

2. **स्थायी आस्तियां**

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई।

3. **मूल्याह्रास**

कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई, अतएव वर्ष के दौरान, कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया।

4. **चालू देयताएं**

आरंभिक खर्चों को दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित किया गया है और जिसे उन्हें अदा किया जाना है, को चालू देयताएं माना गया है।

5. **आय (राजस्व) मान्यता नीति**

आय को जब कभी अर्जित किया जाएगा मान्यता दी जाएगी।

6. **करों के लिए लेखांकन**

वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में कर अदायगी की राशि पर चालू कर निर्धारित किया है और तद्नुसार कर के लिए प्रावधान किया है।

आस्थगित कर प्रभार अथवा ऋण को कर दरों का इस्तेमाल कर प्रभारित किया है जो कि तुलन–पत्र की तारीख से अधिनियमित अथवा वास्तव में अधिनियमित की गई है। आईसीएआई द्वारा जारी मानक 22 के अनुसार, आस्थगित कर देयता के लिए प्रावधान को प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख की समीक्षा के आधार पर किया गया है तथा आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी जाती है यदि भविष्य में ऐसी आस्तियों की उगाही की वास्तविक सुनिश्चितता है। आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं की वर्ष के दौरान प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

7. **प्रावधान**

प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक दायित्व होता है।

SCHEDULE NO. 'E' – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

Accounting Convention – The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The financial statements adhere to relevant presentation requirement of the Companies Act, 1956.

2. **FIXED ASSETS**

No Fixed Assets purchased during the year.

3. **DEPRECIATION**

There is no fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.

4. **CURRENT LIABILITIES**

Preliminary expenses and Other expenses financed by Delhi Police and payable to them are considered as Current Liabilities.

5. **REVENUE RECOGNITION POLICY**

Income is recognized as and when accrued.

6. **ACCOUNTING FOR TAXES**

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made.

The deferred tax charge or credit is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date. In terms of Accounting Standards 22 issued by ICAI, provision for deferred tax liability is made on the basis of review at each Balance Sheet date and deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred tax assets/liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

7. **PROVISIONS**

Provisions are recognized when the company has a present legal or constructive obligation.

अनुसूची 'च' लेखों पर टिप्पणियां

1. कंपनी की स्थापना 16 नवंबर, 2007 को हुई तथा 21 मई, 2008 को व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया। तद्नुसार, यह कंपनी की दूसरी लेखांकन अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक है।

2. वर्ष के दौरान, कंपनी के संस्था के बर्हिनियम के लिए सब्सक्राइबरों को रु.5,00,00,000/– की राशि के शेयर आवंटित किए हैं।

3. कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, इन प्रतिनिधियों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। इन मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा:

SCHEDULE NO. F NOTES ON ACCOUNTS

1. The Company was incorporated on November 16, 2007 and Certificate for Commencement of Business was issued on May 21, 2008. Accordingly, this is the second Accounting period of the Company commencing from 1st April, 2008 to till 31st March, 2009.

2. The Company has allotted share amounting Rs.5,00,00,000/- to the subscribers to the memorandum of association of the company during the year.

3. The key Management Personnel of the company are employees of Delhi Police, no management remuneration is paid to such representatives by the company. The details of such Key Management Personnel are as follows:

क्रसं0 S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री युद्धबीर सिंह डडवाल Sh. Yudhbir Singh Dadwal	अध्यक्ष Chairman	16/11/2007	जारी Continuing
2.	श्रीमती विमला मेहरा Smt. Vimla Mehra	प्रबंध निदेशक Managing Director	16/11/2007	13-07-2009
3.	श्री दीप चन्द Sh. Deep Chand	प्रबंध निदेशक Managing Director	13-07-2009	जारी Continuing

4. कंपनी ने अभी अपना व्यावसायिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है लेकिन सावधि जमा से रु.38,17,977/– की राशि का ब्याज प्राप्त किया।

5. पूर्व वर्ष में व्ययित रु.7,87,028/– के प्राथमिक व्यय को विगत वर्ष में बट्टे खाते में नहीं डाला था क्योंकि लाभ और हानि लेखा नहीं बनाया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी के व्यावसायिक प्रचालन की शुरूआत के बाद जब लाभ और हानि लेखा तैयार किया जाएगा तो उसे बट्टे खाते में डाला जाएगा। लेकिन लेखापरीक्षक ने गत वर्ष की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में उसे योग्य में लिया है तो यह निर्णय लिया गया है कि उसे चालू वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाए।

6. विगत वर्ष की रु.72,800/– की कार्यशील पूंजी आकस्मिक व्यय प्रकृति की है और इसे किसी भी शीर्ष में हानि में नहीं डाला गया। इसमें प्रिंटिंग व स्टेशनरी व्यय, फीस व सदस्यता, बैंक प्रभार, प्रतिधारण फीस, सांविधिक लेखापरीक्षक फीस है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उसे चालू वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाएगा

7. चूंकि चालू वर्ष के प्रासंगिक व्यय यथा लेखापरीक्षा फीस/कानूनी और व्यावसायिक फीस इत्यादि को किसी शीर्ष में नहीं डाला गया है तथा राजस्व व्यय की प्रकृति के होने के कारण उसे चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

8. कंपनी के निगमीकरण संबंधी सभी भुगतान दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए हैं और उन्हें भुगतान योग्य हैं।

4. The company has not yet commenced its commercial operations but has received interest on Term Deposit amounting to Rs.38,17,977/-.

5. The preliminary expenses Rs.7,87,028/- incurred during the previous year were not written off during the previous year because no Profit & Loss Account was prepared and it was decided to write off the same after commencement of commercial operations of the company when the Profit & Loss Account would be drawn up. But since the Auditor had qualified the same in the previous year's Audit Report, it has been decided to write off the same in the current year.

6. The previous year's Capital Work-in-progress of Rs.72,800/- is in the nature of incidental expenditure before operations and not attributable to any contract. It consists of Printing & Stationery expenses, Fee & Subscription, Bank charges, Retainership Fee and Statutory Audit fee. So it has been decided to write off the same during the current year.

7. Since the current year incidental expenses such as Audit Fee/Legal & Professional Fee etc. are not attributable to any contract and being in the nature of revenue expenses the same have also been charged to Profit & Loss Account of the current year.

8. All payments relating to incorporation of the company and other incidental expenses made by Delhi Police and are payable to them.

9. दिल्ली पुलिस को देय शेष में रु.500/– का अंतर है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार रु.10,05,278/– का शेष था जबकि दिल्ली पुलिस ने रु.10,04,778/– की पुष्टि की है। रु.500/– का अंतर नाम के अनुमोदन के लिए कंपनी के पंजीकरण की फीस के लिए है जिसे लाभ और हानि लेखे में कमी और आधिक्य में जमा किया गया है।

10. कंपनी को 30.03.2009 को वर्ष के अंत में आधुनिकीकरण तथा आवासीय उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय से रु.40 करोड़ की राशि की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है और इसलिए वर्ष के अंत में उपयोगिता हेतु लंबित थी।

11. कंपनी ने आईसीएआई द्वारा लेखा मानक–22 'आय पर कर की गणना' के अनुसार आस्थगित कर की गणना की है तथा तद्नुसार आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताओं को मान्यता दी जाती है।

महत्वपूर्ण समय अंतराल के अंतर के कर के प्रभाव के फलस्वरूप कर आस्तियां और उसके मदों के विवरण जो कि जिन अंतरों को बनाती हैं वे निम्नांकित हैं:

विवरण	राशि (रुपयों में) 31.03.2009 को
आस्थगित कर आस्तियां – प्राथमिक व्यय को बट्टे खाते में डालने का समय अंतरात	1,94,553.00

12. कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया है।

13. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

14. कंपनी का लघु उद्योगों/उपक्रमों के प्रति बकाया देयता नहीं है।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एडं कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता सं. 087135
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2009

कृते निदेषक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.	ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)	**(दीप चन्द)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक

9. There was a difference of Rs.500/- in the balance due to Delhi Police. As per our records balance was Rs.10,05,278/- whereas balance confirmed by Delhi Police is Rs.10,04,778/-. The difference of Rs.500/- is on account of ROC fee for name approval which has been credited to Short & Excess Account in Profit & Loss Account.

10. The Company has received Grant-in-Aid amounting to Rs.40 Crore from Ministry of Home Affairs for modernization and housing purpose at the end of the year on 30.03.2009 and as such it was pending for utilization at the year end.

11. Company has accounted for Deferred Tax in accordance with Accounting Standard-22, 'Accounting for Taxes on Income' issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized.

The tax effect of significant timing difference that results in deferred tax assets and description of items thereof that creates theses differences is as follows:

Particulars	Amount (Rs.) As on 31.03.2009
Deferred Tax Assets -Timing difference in writing off of Preliminary exp	1,94,553.00

12. The Company has complied with all the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

13. There is no contingent liability of the Company.

14. The Company has no outstanding liability towards small-scale industries/undertakings.

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner
M.No.087135

Place : New Delhi
Date :03.09.2009

For and on behalf of the Board

Sd/-	Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)	**(Deep Chanda)**
Chairman	Managing Director

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में सूचना
तुलन–पत्र सार और कंपनी के कारोबार की रूपरेखा

1. पंजीकरण ब्यौरा

		राज्य कोड	55
पंजीकरण संख्या		U45400DL2007GOI170534	
तुलन–पत्र की तारीख	31 तारीख	03 माह	2009 वर्ष

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि रुपयों में)

सार्वजनिक निर्गम	अधिकार निर्गम
–	–
बोनस निर्गम	**निजी नियोजन**
–	–

3. निधियों के जुटाने और नियोजन की स्थिति

	कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
	451,865,074	451,865,074
निधियों का स्त्रोत	प्रदत्त पूंजी	आरक्षित और अधिशेष
	50,000,000	1,865,074
	प्रतिभूत ऋण	सरकारी अनुदान
	–	400,000,000
	अप्रतिभूत ऋण	आस्थगित कर देयता
	–	–
निधियों का उपयोग	शुद्ध अचल परिसंपत्तियां (कार्यशील पूंजी सहित)	निवेश
	–	49,865,702
	निवल चालू परिसंपत्तियां	ऋण
	401,774,819	–
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	संचयी घाटा
	194,553	–
	विविध व्यय	
	–	

4. कंपनी का कार्य–निश्पादन

	कारोबार	कुल व्यय
	3,818,477	1,086,828
	कर पूर्व लाभ	कर पश्चात् लाभ
कर–पूर्व लाभ	2,731,649	1,865.074
	प्रति शेयर अर्जन रुपए में	लाभांश दर
	3.73	–

5 कंपनी के मुख्य उत्पादों/सेवाओं के वर्ग नाम

1. मद कोड सं. (आईटीसी)	–
उत्पाद विवरण	–
2. मद कोड सं. (आईटीसी)	–
उत्पाद विवरण	–
3. मद कोड सं. (आईटीसी)	–
उत्पाद विवरण	–

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एडं कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता सं. 087135

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2009

कृते निदेषक मंडल तथा उनकी ओर से

ह. **(युद्धबीर सिंह डडवाल)** अध्यक्ष

ह. **(दीप चन्द)** प्रबंध निदेशक

INFORMATION PURSUANT TO PART IV OF SCHEDULE VI OF THE COMPANIES ACT, 1956
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

1. REGISTRATION DETAIL

		State Code:	55
Registration No.		U45400DL2007GOI170534	
Balance Sheet Date	31	03	2009
	Date	Month	Year

2. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (Amount in Rs.)

Public Issue	Right Issue
—	—
Bonus Issue	Private Placement
—	—

3. POSITION OF MOBILISATION AND DEVELOPYMENT OF FUNDS

	Total Liabilities	Total Assets
	451,865,074	451,865,074
SOURCES OF FUNDS	Paid up capital	Reserves & Surplus
	50,000,000	1,865,074
	Secured Loans	Goverment Grant
	—	400,000,000
	Unsecured Loans	Deferred Tax Liability
	—	—
APPLICATIONS OF FUNDS	Net Fixed Assets (Incl. Capital WIP)	Investments
	—	49,895,702
	Net Current Asstes	Loans
	401,774,819	—
	Deferred Tax Assets	Accoumulated Losses
	194,553	—
	Misc. Expenditure	

4. PERFORMANCE OF COMPANY

	Turnover	Total Expenditure
	3,818,477	1,086,828
	Profit before Tax	Profit After Tax
Profit before Tax	2,731,649	1,865.074
	Earning Per Share in Rs.	Dividend Rate
	3.73	—

5. GENERIC NAMES OF PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF THE COMPANY

1. Item Code No. (ITC Code)	—
Product description	—
2. Item Code No. (ITC Code)	—
Product description	—
3. Item Code No. (ITC Code)	—
Product description	

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner
M.No.087135

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

Sd/-
(Deep Chanda)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 03.09.2009

प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
Pradeep Gopal & Company
Chartered Accountants

104, लक्ष्मी कॉम्पलेक्स बी–6, सुभाष चौक
लक्ष्मी, नगर दिल्ली – 110 092
104, Laxmi Complex, B-6, Subhash Chowk,
Laxmi Nagar, Delhi – 110 092

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

1. हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2009 के संबद्ध तुलन–पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित लाभ और हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंध तंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखपरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जांच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में इसके साथ विवरण संलग्न करते हैं।

AUDITOR'S REPORT

THE MEMBERS OF

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED.

1. We have audited the attached Balance Sheet of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED as at 31st March, 2009 and relative Profit & Loss account for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express and opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. As required by the Companies (Auditor's Report) order 2003 issued by the Central Government of India in terms of Sub Section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the annexure hereto a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said Order.

PRADEEP GOPAL & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS DELHI

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लेखित अनुलग्नक में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम यह स्पष्ट करते हैं कि:

(i) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

(ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हैं।

(iii) इस रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा खाता बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में कंपनी के लाभ–हानि खाता तथा तुलन–पत्र में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित अधिदेशी लेखा मामलों का पालन किया गया है।

(v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001–सीएल-V के अनुसार सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधानों की प्रयोजनीयता से सरकारी कंपनी को छूट मिली है।

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और उक्त पैरा (vi) की हमारी टिप्पणी के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित उक्त लेखा, उसके साथ में पठित टिप्पणियों के साथ यथा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं;

(क) 31 मार्च, 2009 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के मामले में, और

(ख) उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा के मामले में।

कृते **प्रदीप गोपाल एडं कंपनी**
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता सं. 087135

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2009

4. Further to our comments in the annexure referred in paragraph 3 above, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) In our opinion, proper books of account as required by the law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

(iii) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;

(iv) In our opinion, the Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Company comply with the mandatory accounting standards referred to in Section 211(3C) of the Companies Act, 1956;

(v) Vide notification No. 2/5/2001-CL.V dated 22.03.2002 of the Department of Company Affairs, Government of India, Government Companies have been exempted from applicability of the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956;

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and further to our comments in para (vi) above, the said accounts, read with the noted thereon give the information required by the Companies Act 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

(a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2009; and

(b) In the case of the Profit & Loss Account of the profit for the period ended on that date.

For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner
M.No.087135

Place : New Delhi
Date : 03.09.2009

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के पैरा 3 में संदर्भित

(i) मद सं. (i) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) मद सं. (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई प्रविष्टि नहीं है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को/से प्रतिभूत/अप्रतिभूत न किसी को ऋण प्रदान किया न लिया।

(iv) चूंकि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई व्यापार शुरू नहीं किया मद सं. (iv) लागू नहीं होता।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित किसी संविदा अथवा प्रबंधन में शामिल नहीं हुई।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।

(vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई व्यापार आरंभ नहीं किया।

(viii) चूंकि कंपनी ने व्यापार आरंभ नहीं किया है, कंपनी पर मद सं. (viii) लागू नहीं है।

(ix) (क) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2009 को अदायगी योग्य की तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए कोई सांविधिक बकाया देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद–शुल्क, उपकर के कोई विवाद देय नहीं है।

(x) मद सं. (x) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xi) मद सं. (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रख कर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।

Annexure to Auditor's Report

Referred to in Paragraph 3 of our report of even date..

(i) Point No. (i) is not applicable to the Company as Company had no fixed assets during the period of audit.

(ii) Point No. (ii) is not applicable to the Company as Company had no inventory during the period of audit.

(iii) According to the information and explanations given to us, the Company has neither granted nor taken any loan, secured or unsecured to/from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the period of audit.

(iv) As company did not commence the business during the period of audit, point no. (iv) is not applicable.

(v) According the information and explanation given to us, company did not enter into any contract or arrangement referred to in Section 301 of the Act.

(vi) According to the information and explanation given to us, the Company has not accepted any deposit from the public.

(vii) According to the information and explanation given to us, there was no requirement of Internal Audit as Company had not commenced business during the period of audit.

(viii) As the Company has not commenced business, point no. (viii) is not applicable to the Company.

(ix) (a) According to the records of the Company, no statutory dues were outstanding as at 31st March, 2009 for a period of more than six months from the date of becoming payable.

(b) According to the information and explanations given to us, there is no disputed dues of income tax/sales tax/wealth tax/service tax/customs duty/ excise duty/cess.

(x) Point no. (x) is not applicable to the Company.

(xi) Point no. (xi) is not applicable to the Company.

(xii) According to the information and explanation given to us, no loan and advance has been granted by the Company on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्युचुअल लाभ निधि/सोसायटी नहीं है। अतएव कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खंड 4(xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) मद सं. (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।

(xvi) मद सं. (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर बनाई गई निधियों का उपयोग नहीं किया है।

(xviii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने पार्टियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आती है।

(xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(xx) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के रूप में कोई धन नहीं उठाया है।

(xxi) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की, हमारी जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें, वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना न दिखी अथवा रिपोर्ट की गई।

कृते **प्रदीप गोपाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता सं. 087135

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2009

(xiii) According to the information and explanation given to us, the Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore provisions of clause 4(xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.

(xiv) Point no. (xiv) is not applicable to the Company.

(xv) Accordingly to information and explanations given to us, Company has not given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.

(xvi) Point no. (xvi) is not applicable to the Company.

(xvii) According to information and explanations given to us, the Company has not utilised fund raised on short term basis towards long term investments.

(xviii) According to information and explanations given to us, the Company has not made preferential allotment of shares during the year to parties and companies covered in the Register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.

(xix) According to the information and explanations given to us, the Company has not issued debenture during the year.

(xx) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any money by way of public issue during the year.

(xxi) During the course of our examination of the books of account carried out in accordance with the generally accepted auditing standards in India and as per the information and explanations given to us, we have not come across any instance of fraud, either notices or reported during the year on or by the Company.

For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner
M.No.087135

Place : New Delhi
Date :03.09.2009

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – IV नई दिल्ली

गोपनीय

सं. 771–पीडीसीए / एचएस / डीपीएचसीएल / ए / एसी / 2008–09 / 1531 दिनांक : 11.09.2009

सेवा में,

अध्यक्ष

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

नई दिल्ली

विषय : **भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 169(4) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां**

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर गैर–समीक्षा प्रमाण–पत्र संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह.

(आर. एम. जौहरी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड .–IV

संलग्नकः उपरोक्त

आठवां व नवां तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स : 23239416
ई–मेल : mabNewdelhi4@cag.gov.in

Confidential.

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi.

1531

No.771-PDCA/HS/DPHCL/A/Ac./2008-09/ dated 11.09.2009.

To

The Chairman,
Delhi Police Housing Corporation Limited,
New Delhi.

Subject: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31 March 2009.

Sir,

I am to enclose herewith a Non-Review Certificate under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31 March 2009.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl.: As above

Ram Mohan Johri

(R.M. Johri)
Pr. Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

No 36/PSec./SPl.CP/MD/DPHC Ltd.
14-09-2009

14/9.

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष को वित्तीय विवरणों की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी की प्रबंधन समिति का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी 3 जुलाई, 2009 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कोई अभियुक्ति नहीं की है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(आर. एम. जौहरी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड .–IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2009

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2009.

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2009 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these finical statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 03.09.2009.

I on behalf of the Comptroller and Auditors General of India have decided not to review the report of the Statutory Auditors' on the accounts of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2009 and as such have no comments to make under Section 619(4) of the Companies Act 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(R.M. Johri)
Pr. Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Place: New Delhi
Dated: 11.09.2009.

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com